<u>राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना</u>
<u>वाद संख्या–73 / 2023</u>
<u>पंकज कुमार बनाम् अशोक कुमार।</u>

यह वाद श्री पंकज कुमार, पिता–श्री सोहन प्रसाद, ग्राम–धर्मपुर, नगर पंचायत हरनौत, वार्ड संख्या–19, **जिला–नालन्दा** द्वारा श्री अशोक कुमार, पिता–श्री योगेन्द्र प्रसाद, वर्तमान वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या–19, हरनौत नगर पंचायत, **जिला–नालन्दा** के विरुद्ध **दिनांक–04.04.2008 के उपरांत दो से अधिक जीवित संतान** के संबंध में दिये गये, परिवाद के आधार पर प्रारंभ हुआ। परिवाद की जाँच कर जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, नालन्दा द्वारा करायी गयी, जिसमें परिवादी का दावा प्रथम दृष्ट्या सही पाया गया। उक्त प्रतिवेदन पत्रांक–263(मु) / निर्वा0, दिनांक–30.10.2023 के आधार पर, बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18(2) के तहत स्वतः संज्ञान के आधार पर आयोग द्वारा प्रारंभ किया गया। नैसर्गिक–न्याय के नियम के तहत प्रभावित पक्षों, अर्थात् परिवादी श्री पंकज कुमार एवं वार्ड पार्षद, श्री अशोक कुमार को आयोग द्वारा पक्षकार बनाया गया।

2. वाद की सुनवाई के क्रम में परिवादी / वादी श्री पंकज कुमार का पक्ष उनके विद्वान अधिवक्ता श्री रंजीत चौबे द्वारा आयोग के समक्ष रखा गया, जबकि प्रतिवादी अशोक कुमार की ओर से उनका पक्ष विद्वान अधिवक्ता श्री मदुसुदन राय द्वारा रखा गया। सुनवाई के क्रम में जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, नालन्दा द्वारा अभिलेखों के सत्यापन को उपलब्ध कराने एवं जिला प्रशासन का पक्ष रखने हेतु श्री अवधेश कुमार, उप निर्वाचन पदाधिकारी, नालन्दा को प्राधिकृत किया गया।

3. वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आयोग को बताया गया कि प्रतिवादी को कुल पाँच संतान है, जिनमें 04 पुत्र एवं 01 पुत्री हैं। संतानों की संख्या में कोई विवाद नहीं है। प्रतिवादी द्वारा स्वयं अपने नामांकन–पत्र में अपने पाँचों संतानों की संख्या का उल्लेख किया है। आगे उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि प्रतिवादी द्वारा अभ्यर्थी Bio-Data के प्रपत्र–ग में गलत सूचना अंकित की है तथा इस बाबत उनके द्वारा मिथ्या शपथ–पत्र भी दिया गया। उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि प्रतिवादी के कुल 05 संतान एवं उनकी आयु स्वयं प्रतिवादी द्वारा जातिगत सर्वेक्षण में घोषित किया गया है, जिसका फॉर्म संख्या–16238917 है। फॉर्म में बच्चों की आयु एवं नाम का अवलोकन उनके द्वारा आयोग को कराया गया, जो निम्नवत् है:–

I. Chandralok Kumar(15 Years)
II. Ashlok Kumar(12 Years)
III. Kundan Kumar(09 Years)
IV. Khushboo Kumari(08 Years)
V. Raushan Kumar (06 Years)

आगे उनके द्वारा आयोग के बताया गया कि प्रतिवादी की एक पुत्री खुश्बू कुमारी की जन्मतिथि–06.01.2011 है। साक्ष्य स्वरूप उनके द्वारा खुश्बू कुमारी के जन्म प्रमाण–पत्र का अवलोकन आयोग को कराया गया। आगे उनके द्वारा सहायक साक्ष्य के रूप में केन्द्रीय विद्यालय, हरनौत के प्राचार्य प्रमाण–पत्र क्रमांक–संदर्भ संख्या–40064/के0वि0ह0/2023–24/Misc.Cert./36, दिनांक–07.07.2023 का अवलोकन कराया गया, जिसमें खुश्बू कुमारी की जन्मतिथि प्रवेश–पंजी में दिनांक–06.01.2011 अंकित है तथा इनका प्रवेश क्रमांक–490 है।

आगे उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि प्रतिवादी के एक पुत्र अश्लोक कुमार की जन्मतिथि–12.12.2009 है। अपने दावें के समर्थन में उनके द्वारा नवोदय विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा प्रयुक्त 'पोर्टल' से प्राप्त अश्लोक कुमार के परीक्षा परिणाम की छायाप्रति का अवलोकन आयोग को कराया गया, जिसमें उनकी जन्मतिथि–12.12.2009 अंकित है।

अंत में उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि संतानों की संख्या में कोई भी विवाद नहीं है तथा साक्ष्यों से प्रमाणित है कि दो संतानों की जन्मतिथि–04.04.2008 के उपरांत है, इसके अतिरिक्त जिला प्रशासन के प्राथमिक प्रतिवेदन एवं उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये साक्ष्यों के सत्यापन प्रतिवेदन पत्रांक–2451/निर्वा0, दिनांक–11.11.2024 से भी यह प्रमाणित हो चुका है कि उनका दावा सत्य है। अतः उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि प्रतिवादी को बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18(1)(m) का उल्लंघन किया गया है, तो उन्हें अविलम्ब अयोग्य घोषित करते हुए, वार्ड पार्षद के पद से हटाया जाना चाहिए।

4. प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा दायर करने के उपरांत जवाब हेतु कई बार समय प्राप्त करते रहे, उनके द्वारा न तो लिखित जवाब दायर किया गया और न ही वादी के आरोपों का मौखिक प्रतिवाद किया गया। नैसर्गिक–न्याय के नियमों का पालन करते हुए, कई अवसर यथा– **दिनांक–29.04.2024 दिनांक–11.06.2024 दिनांक–13.08.2024 दिनांक–20.11.2024 दिनांक–28.01.2025 दिनांक–22.05.2025 तथा दिनांक–16.10.2025** को प्रतिवादी को अवसर प्रदान किये गये, जबकि उनके विरूद्ध मई, 2023 को परिवाद दायर किया गया था तथा प्राथमिक साक्ष्य पाये जाने के उपरांत जनवरी, 2024 में ही वाद प्रारंभ किया गया था। अतः बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18(2) में निहित प्रावधानों के अधीन उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर ही परिवाद/वाद के निष्पादन का निर्णय लिया गया।

5. **जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, नालन्दा द्वारा सत्यापन–सह–जॉच प्रतिवेदन पत्रांक–263(मु0)/निर्वा0 दिनांक–30.10.2023,**

पत्रांक–2451/निर्वा0, दिनांक–11.11.2024 द्वारा उपलब्ध कराया गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी, नालन्दा द्वारा जाँच प्रतिवेदन में अंकित प्रमुख तथ्य निम्नवत् हैः–

(i) अनुमण्डल पदाधिकारी, बिहारशरीफ के जाँच में यह पाया गया कि खुश्बू कुमारी की जन्मतिथि–06.01.2011 है। वह केन्द्रीय विद्यालय हरनौत की छात्रा है। उनके जन्मतिथि के संबंध में प्राचार्य, केन्द्रीय विद्यालय, हरनौत द्वारा प्रमाण–पत्र संख्या–36, दिनांक–07.07.2023 प्रदान किया गया, जो कि वाद प्रारंभ किये जाने का प्राथमिक साक्ष्य बना।

(ii) वाद के सुनवाई के क्रम में वादी द्वारा दिये गये, साक्ष्य का सत्यापन जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, नालन्दा द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकरी, मुँगेर के माध्यम से कराया गया। प्राचार्य, जवाहर नवोदय विद्यालय, मुँगेर द्वारा जो सत्यापन प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया, उसके अनुसार अश्लोक कुमार, आधार संख्या–2060 3572 1625 तथा जन्मतिथि–12.12.2009 का सत्यापन पाया गया। सत्यापन प्रतिवेदन में यह भी पाया गया कि नवोदय विद्यालय के पंजीकरण में प्रतिवादी श्री अशोक कुमार का हस्ताक्षर भी मौजूद है। नामांकन–पत्र के साथ संलग्न अभिलेखों में विद्यालय स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र तथा अश्लोक कुमार का जन्म प्रमाण–पत्र भी संलग्न है, जिसमें इनकी जन्मतिथि–12.12.2009 ही दर्ज है। इसके साथ ही प्रतिवेदन के साथ संलग्न जवाहर नवोदय विद्यालय, मुँगेर के प्रवेश–पंजी में भी अश्लोक कुमार के जन्मतिथि–12.12.2009 ही अंकित है।

6. आयोग द्वारा विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों/तर्को तथा जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, नालन्दा का प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। उपलब्ध साक्ष्यों/अभिलेखों एवं विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्को के आलोक में आयोग का इस वाद के संबंध में मत निम्नवत हैः–

''आयोग द्वारा यह पाया गया कि इस परिवाद/वाद का मूल कारण वादी का यह दावा है कि श्री अशोक कुमार (वर्तमान वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या–19, हरनौत नगर पंचायत, जिला–नालन्दा) द्वारा दिनांक–04.04.2008 के उपरांत दो से अधिक जीवित संतानों के कारण बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18(1)(m) के तहत चुनाव पूर्व अयोग्यता होने के बावजूद गलत शपथ–पत्र एवं सूचना के आधार पर वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या–19, हरनौत नगर पंचायत, जिला–नालन्दा के पद पर निर्वाचित हो गए।

आयोग द्वारा यह पाया गया कि संतानों की संख्या के संबंध में वादी एवं प्रतिवादी एकमत हैं। प्रतिवादी द्वारा स्वयं अभ्यर्थी बायोडाटा में अपने संतानों की संख्या–05 (चार पुत्र एवं एक पुत्री) घोषित की है। विवाद प्रतिवादी के संतानों के

जन्मतिथि अर्थात् Cut of Date- 04.04.2008 के उपरांत जन्म लेने अथवा उसके पूर्व जन्म लेने को लेकर है।

परिवादी द्वारा उपलब्ध कराये गये, साक्ष्यों में एक साक्ष्य, जो प्रतिवादी के पुत्री खुश्बू कुमारी से संबंधित था, को सत्यापन के दौरान सही पाया गया। खुश्बू कुमारी की जन्मतिथि–06.01.2011 अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर प्रमाणित हुई। ज्ञातव्य हो कि केन्द्रीय विद्यालय C.B.S.E. मान्यता प्राप्त केन्द्र सरकार द्वारा संचालित विद्यालय होते हैं।

परिवादी/वादी द्वारा दिया गया दूसरा साक्ष्य जो कि उनके पुत्र अश्लोक कुमार के जन्मतिथि से संबंधित है, भी सत्यापन के दौरान सही पाया गया। अश्लोक कुमार की जन्मतिथि नवोदय विद्यालय, मुँगेर के अभिलेखों में 12.12.2009 प्रमाणित पायी गयी, जिसपर स्वयं प्रतिवादी के हस्ताक्षर भी अंकित पाये गये। उल्लेखनीय है कि नवोदय विद्यालय C.B.S.E. मान्यता प्राप्त केन्द्र सरकार द्वारा संचालित आवासीय विद्यालय हैं।

उक्त दोनों साक्ष्यों से निर्विवाद रूप से यह प्रमाणित है कि प्रतिवादी के दो संतानों की जन्मतिथि Cut of Date- 04.04.2008 के उपरांत की है।

प्रतिवादी द्वारा न तो लिखित और न ही मौखिक रूप से कोई प्रतिवाद दायर किया है। अतः उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर परिवादी/वादी का दावा अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर प्रमाणित पाया गया।

(क) उपर्युक्त सभी स्थिति से स्पष्ट है कि श्री अशोक कुमार को दिनांक–04.04.2008 के उपरांत दो से अधिक जीवित संतान रहने के कारण चुनाव पूर्व अयोग्यता का धारण संवीक्षा की तिथि को करते थे, इसके बावजूद वे तथ्यों को छुपाकर गलत शपथ–पत्र एवं अंतिम संतान के गलत जन्म प्रमाण–पत्र के आधार पर वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या–19, नगर पंचायत हरनौत, जिला–नालन्दा के पद पर निर्वाचित होने में कामयाब रहें। इस प्रकार बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18(1)(m) के तहत अर्हता प्राप्त नहीं रहने के कारण प्रतिवादी श्री अशोक कुमार को बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18(1)(m) सहपठित धारा–18(2) तहत प्रदत्त शक्तियों के अधीन अयोग्य/निरर्हित घोषित करते हुए, तत्काल प्रभाव से वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या–19, नगर पंचायत हरनौत, जिला–नालन्दा के पद से पदमुक्त किया जाता है। इस आदेश के साथ ही वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या–19, नगर पंचायत हरनौत, जिला–नालन्दा का पद रिक्त समझा जाएगा तथा नियमानुसार इस पर निर्वाचन की कार्रवाई सम्पन्न की जाएगी।

(ख) जिला पदाधिकारी नालन्दा द्वारा श्री अशोक कुमार के विरूद्ध गलत हलफनामा एवं तथ्य छुपाने हेतु बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–447 तथा अन्य

सुसंगत धाराओं के तहत नियमानुसार विधिक कार्रवाई हेतु जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) एवं जिला दण्डाधिकारी, नालन्दा के रूप में प्राप्त शक्तियों के अन्तर्गत भी कार्रवाई सुनिश्चित करायेगें।

इस आदेश के साथ इस वाद को निष्पादित किया जाता है।

सभी संबंधित को सूचित कर दिया जाये।

अद्योहस्ताक्षरी द्वारा लेखापित एवं संशोधित।

ह0 / –	ह0 / –
(डॉ० दीपक प्रसाद)	(डॉ० दीपक प्रसाद)
06.04.2026	06.04.2026
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।	राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–73 / 2023 पटना, दिनांक–......................

प्रतिलिपि– प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –

विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक–73 / 2023 1535 पटना, दिनांक–6.4.26

प्रतिलिपि–जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी,**नालन्दा** / उप निर्वाचन पदाधिकारी **नालन्दा** सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उप निर्वाचन पदाधिकारी **नालन्दा** को आदेश दिया जाता है कि आदेश की प्रति का तामिला वादी एवं प्रतिवादी को 24 घंटे के अन्दर कराते हुए तामिला प्रतिवेदन लौटती डाक / ई–मेल से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

06/4/26

विशेष कार्य पदाधिकारी